सवाल महिलाओं के मानव अधिकारों का

सुहास कुमार

मानव अधिकारों के बारे में कुछ जानकारी आपने पिछले अंक में पढ़ी होगी। पढ़कर कुछ सवाल मन में उठे होंगे। मसलन महिलाओं के मानव अधिकारों की बात अलग से क्यों उठी? क्या महिलाओं की गिनती मानवों में नहीं होती? आज भी समाज में महिलाओं को दोयम दर्ज़ा ही मिला हुआ है। उनकी खास पूछ नहीं होती। उनकी ज़रूरतों उनकी भावनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जहां तक उनके अधिकारों का सवाल है हालात और भी खराब हैं।

आइए देखें कि कहां और कैसे महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिलते–

1. गरीब देशों की महिलाएं खरीदी व बेची जाती हैं। यह अनैतिक व्यापार दिनों दिन बढ़ रहा है। उन्हें वधू की तरह खरीदा जाता है और वेश्या-वृत्ति के लिए बेचा जाता है। वे पर्यटन का हिस्सा बनाकर मनोरंजन का साधन बनाई जाती हैं। बाल-विवाह, बिना मर्ज़ी का विवाह, सती, देवदासी, विधवाओं को घर से निकाला जाना, फिर से ब्याह की मनाही भी उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन है। गरीब परिवारों में भी उन्हें कई बार बेच दिया जाता है और उनसे वेश्या-वृत्ति भी कराई जाती है।
2. दरअसल पितृसत्तात्मक ढांचा ही भेदभाव पर आधारित है। यहां लिंग, जाति व वर्ग के आधार पर भेदभाव होता है। इसके ढांचे में ही कुछ की दासता शामिल है और दासों का शोषण होता है।
3. विकास के नए ढांचे में भी महिलाओं और निर्धनों का शोषण शामिल है। महिलाओं के सस्ते श्रम व यौनिक सेवाओं के बल पर देश की आमदनी बढ़ाई जाती है। उनको पूरा मेहनताना न देकर, ज़बर्दस्ती देह-व्यापार करवाकर उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है।
4. सरकार व पुलिस हर तरह से उन्हें दबाती है। सैन्य यौनिक हिंसा तथा दंगों के दौरान हिंसा एवं यौनिक हिंसा, पुलिस हिरासत में

अत्याचार एवं यौन हिंसा सभी महिलाओं के मानव अधिकारों के उल्लंघन हैं।

कब, कितने बच्चे पैदा करें, अपने शरीर पर अपना अधिकार उनके पैदायशी हक़ हैं। मगर सरकार तमाम तरह के खतरनाक गर्भ निरोधक उन पर थोपती है। जनसंख्या कम करने के बहाने धीरे-धीरे गरीब महिलाएं ही कम हो रही हैं।

5. धर्म और संस्कृति के नाम पर भी महिलाओं के मानव अधिकार उन्हें नहीं मिल पाते। जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य व शिक्षा का अधिकार बुनियादी मानव अधिकार हैं और जहां कहीं निजी धर्मों के अधिकार और इनमें टकराव हो तो पहले दिए गए अधिकारों की रक्षा पहले होनी चाहिए।
6. दलित, निर्धन व जन जातीय महिलाओं के साथ और भी बुरा बर्ताव होता है। उनके साथ ज़्यादा हिंसा, सामाजिक व क़ानूनी भेदभाव किए जाते हैं। वे अमानवीय ढंग से रहने को मजबूर हैं। उन्हें आम नागरिक आज़ादियां भी नहीं मिली हुई हैं।

संयुक्त राज्य संघ ने जो मानव अधिकारों की सूची बनाई उसमें इन सब तत्वों को ध्यान में नहीं रखा गया। बाद में एक विशेष अनुच्छेद जोड़ा गया। 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव समाप्त करने की घोषणा की। इसे "सीडा" कन्वेंशन का नाम दिया गया, 3 सितम्बर 1981 को यह लागू किया गया। भारत ने 25 जून 1993 को इसे कुछ संशोधन के साथ मान लिया। अतः भारत सरकार वचनबद्ध है कि महिलाओं के साथ महिला होने के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जो नियम बनाए हैं उनमें महिलाओं को कमज़ोर करने वाले सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक ढांचों का ज़िक्र कहीं नहीं है। जब तक इस बात को समझा व स्वीकारा नहीं जाएगा, महिलाओं को उनके मानव अधिकार नहीं मिल सकते। बाकी तो सब ऊपरी लीपा-पोती है।

एक और बात जिसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, वह है--महिलाओं के मानव अधिकार निजी व बाहरी क्षेत्र में। दरअसल दोनों में कोई टकराव नहीं है। दोनों ही जगह भेदभावों की वजह से उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल पाते।

सन् 1994 में वियना में मानव अधिकार सम्मेलन में महिलाओं के मानव अधिकारों को मानव अधिकारों की सूची में शामिल कर लिया गया। सन् 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बीजिंग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भी इसकी पुष्टि की गई। यह यों ही नहीं हुआ। बैंकॉक में 25-28 मार्च 1993 में एशिया पैसिफ़िक क्षेत्र के बहुत से गैर सरकारी संगठन मिले और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर महिलाओं के मानव अधिकारों की मांग उठाई। सुझावों की एक लंबी सूची बनाकर वियना सम्मेलन 1994 में पेश की गई।

अभी भी लागू होने के स्तर पर बहुत सी कमियां हैं, पर महिलाओं और महिला संगठनों को अपना दबाव बनाए रखना है। बिन मांगे चाहे और कुछ भले ही मिल जाए अधिकार कभी नहीं मिले। □